भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4660

उत्तर देने की तारीख 29 मार्च, 2023

4जी आधारित मोबाइल सेवाओं का विस्तार

4660. श्री पी.पी. चौधरी:

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

श्री अनुराग शर्मा:

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:

श्री बृजभूषण शरण सिंह:

श्री संगम लाल गुप्ता:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश सहित अतिरिक्त गांवों के विस्तारित कवरेज के माध्यम से आकांक्षी जिला योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवा के प्रावधान का विस्तार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) आज की तिथि तक आवंटित की गई निधि और स्थापित किए गए मोबाइल टावरों का राजस्थान के पाली, उत्तर प्रदेश के झांसी-ललितपुर, देवरिया, गोंडा-बहराइच और प्रतापगढ़, ओडिशा के बालासोर और मध्य प्रदेश के देवास सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार की सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को ब्रॉडबैंड अवसंरचना से जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) सरकार ने आकांक्षी जिलों के मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा वित्तपोषित निम्नलिखित स्कीमों को अनुमोदित किया है:

i. **502 आकांक्षी जिला परियोजना**: यह परियोजना चार राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आकांक्षी जिलों के मोबाइल सेवा से वंचित 502 गांवों में मोबाइल सेवा आधारित 4जी का प्रावधान करने से संबंधित है। इसके अलावा, इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के मोबाइल सेवा से वंचित और 27 गांवों को कवर करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

ii. **7287 आकांक्षी जिला परियोजना:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के मोबाइल सेवा से वंचित 7287 गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान करने हेतु परियोजना को अनुमोदित किया है।

इसके अलावा, सरकार ने आकांक्षी जिलों सहित पूरे देश के मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु यूएसओएफ द्वारा वित्तपोषित 4जी सैचुरेशन स्कीम को भी अनुमोदित किया है। दिनांक 27.07.2022 के मंत्रिमंडल अनुमोदन के अनुसार 4जी सैचुरेशन परियोजना के तहत पूरे देश के मोबाइल सेवा से वंचित 24680 गांवों को 20% गांवों के अतिरिक्त प्रावधान के साथ 4जी सेवा से कवर करने का प्रस्ताव किया गया है। इस परियोजना में 6279 गांवों में 4जी सेवा के लिए मौजूदा 2जी/3जी साइटों का उन्नयन करना भी शामिल है। इस परियोजना में राजस्थान राज्य के 3368 गांवों, उत्तरप्रदेश राज्य के 340 गांवों, ओडिशा राज्य के 2792 गांवों तथा मध्य प्रदेश राज्य के 3191 गांवों को शामिल किया गया है।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित स्कीम के तहत आवंटित की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है। उपर्युक्त स्कीमों के तहत आज की तारीख तक संस्थापित किए गए मोबाइल टावरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है। यूएसओएफ की उपर्युक्त स्कीमों के तहत राजस्थान के पाली, उत्तर प्रदेश के झांसी-ललितपुर, देवरिया, गोंडा-बहराइच और प्रतापगढ़, ओडिशा के बालासोर और मध्यप्रदेश के देवास में अभी तक कोई मोबाइल टावर संस्थापित नहीं किया गया है।

(ग) भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन देश की ग्राम पंचायतों (जीपी)/गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेटवर्क सृजित करने हेतु चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। इस अवसंरचना को गांवों/सरकारी संस्थाओं, विद्यालयों तथा निजी क्षेत्रों सहित जीपी/ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए टीएसपी/आईएसपी को पट्टे पर दिया जाता है। फरवरी 2023 तक, भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 189256 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट परियोजना के कार्यक्षेत्र को दिनांक 30.06.2021 को ग्राम पंचायतों (जीपी) से बढ़ाकर सभी गांवों तक करने का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। भारतनेट के कार्यान्वयन की कार्यान्वयन कार्यनीति तथा लागत अनुमान को तैयार किया जा रहा है। भारतनेट परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा वर्ष 2025 है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 29.03.2023 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4660 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 502 गांवों तथा 4जी सैचुरेशन परियोजना नामक स्कीमों के तहत मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए दिनांक 02.03.2023 तक आवंटित/संवितरित की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	**राज्य**	**रूपए करोड़ में**
1.	राजस्थान	142
2.	उत्तर प्रदेश	10
3.	ओडिशा	152
4	मध्य प्रदेश	24
	कुल	**327**

<u>अनुबंध-II</u>

लोक सभा में दिनांक 29.03.2023 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4660 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में संस्थापित किए गए टावरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	**राज्य**	**राशि करोड़ रूपए**
1.	राजस्थान	50
2.	उत्तर प्रदेश	26
3.	ओडिशा	22
4	मध्य प्रदेश	58
	कुल	**156**